

8/6/23 उपायुक्त हरियाणा

विशेष निदेश/आदेश संख्या 2023

8/6/23

यथा पद उपायुक्त, विशेष पद  
 उपायुक्त यथा पद एवं भी सुनवाई  
 की शक्ति में शामिल नहीं है। यथा  
 पद का कार्यवाही में शक्ति नहीं है।  
 के अलावा कार्य की प्रकृति यथा/सहित  
 कार्य की जाती है।

8/6/23